न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–21/2025 दायर दिनांक: 11.06.2025
GCMS NO:- 2025/147 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. अलीबहादूर पुत्र केसरा जाति मुसलमान तेली नि0 बीजलवा तहसील नैनवॉ।
2. फिरोजद्दीन पुत्र छोटू जाति मुसलमान तेली नि0 बीजलवा तहसील नैनवॉ।
3. इमामुद्दीन पुत्र हमीरा जाति मुसलमान तेली नि0 बीजलवा तहसील नैनवॉ।
4. बाबूलाल पुत्र हमीरा जाति मुसलमान तेली नि0 बीजलवा तहसील नैनवॉ।
5. पीरी पुत्री हमीरा जाति मुसलमान तेली नि0 बीजलवा तहसील नैनवॉ।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. चतरा पुत्र रतना जाति मीणा नि0 बीजलवा तहसील नैनवॉ।
2. बाबूलाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा नि0 बीजलवा तहसील नैनवॉ।
3. सुल्तान आ. हमीरा गोद पुत्र फकीरा जाति मुसलमान तेली नि0 रजलावता तहसील नैनवॉ। (मृतक)
   3/1. हुसैन मोहम्मद आ0 सुल्तान जाति मुसलमान तेली नि0 सादरगंज काली पलटन लड्डू कबाडी की गली टोंक।
   3/2. साबूद्दीन आ0 सुल्तान जाति मुसलमान तेली नि0 रजलावता तहसील नैनवॉ।
   3/3. जमील खान आ0 सुल्तान जाति मुसलमान तेली नि0 राजीव कॉलॉनी नैनवॉ।
   3/4. इब्राहिम आ0 सुल्तान जाति मुसलमान तेली नि0 रजलावता तहसील नैनवॉ।
   3/5. सकीला बानों पुत्री सुल्तान पत्नी राजों मोहम्मद जाति मुसलमान तेली नि0 गुढादेवजी तहसील नैनवॉ।
   3/6. सायरा बानों पुत्री सुल्तान पत्नी सलीम मोहम्मद जाति मुसलमान तेली नि0 गुढादेवजी तहसील नैनवॉ।
   3/7. दीनी बानो पत्नी सुल्तान जाति मुसलमान तेली नि. रजलावता तहसील नैनवॉ।
4. लड्डू पुत्र हमीरा जाति मुसलमान तेली नि0 बीजलवा तहसील नैनवॉ।
5. भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जर्ये शाखा प्रबंधक नैनवॉ।
6. राजस्थान सरकार जर्ये भू–स्वामी तहसीलदार नैनवॉ।
7. राजस्थान राज्य जर्ये श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बून्दी।

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश कुमार मीना।
अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 3/2, 3/4, 3/7 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण लवानिया।
निर्णय दिनांक 17.06.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 21.11.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क के तहत् इस न्यायालय मे पेश किया गया था जिसमे प्रार्थीगण द्वारा ग्राम वीजलवा प0म0 सुवानिया तहसील नैनवॉ जिला बून्दी की जमाबन्दी संवत् 2072–2075 के खाता संख्या 82 की कृषि भूमि खसारा संख्या 704 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा संख्या 705 रकबा 09 बीघा 10 विस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 17 बीघा जो कि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की कृषि भूमि है, मे जाने का एकमात्र रास्ता जो प्रतिवादीगण के खाते की भूमि खसरा नम्बर 702 की मेर के सहारे होकर जाता है तथा जिसका उपयोग प्रार्थीगण द्वारा 100 वर्षो से भी अधिक समय से करना वताया है, पर परिशिष्ट क मे लाल स्याही से दर्शाये गए रास्ते अनुसार रास्ते दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। साथ ही निवेदन किया गया था कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी खेत खसारा नम्बरान 704 व 705 मे पहुंचने के लिए अन्य कोई दुसरा रास्ता उपलब्ध नही है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने उक्त रास्ते को बिल्कुल बंद कर दिया है। विवादित रास्ता जो कि 15 फीट चौडा है, को बहाल किया जाना आवश्यक है एवं बहाल नही किया तो भूमि

पड़त रह जावेगी और प्रार्थीगण के भूखे मरने की नौबत आ जावेगी। उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा वादपत्र के रूप मे प्रस्तुत किया गया था जिसे न्यायालय ने प्रार्थना पत्र के रूप मे दर्ज कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया था। अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 3/2, 3/4, 3/7 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण लवानिया द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया था कि खसरा नम्बर 703, 704, 705 के पूर्व सहखातेदार नन्ना उर्फ नन्हे खां आ0 हमीरा जो प्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 5 व मृतक अप्रार्थी संख्या 3 का बड़ा भाई था। उसने श्रीमान के न्यायालय, तहसीलदार साहब नैनवॉ के समक्ष उक्त खेतों पर जाने के लिए रास्ते की कार्यवाही के निवेदन पर श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ ने स्वयं मौका देखकर रास्ता दिया था जो रास्ता ग्राम बीजलवा से बाछोला के आम रास्ते पर मिलने वाले रास्ता खसरा नम्बर 238 से दक्षिण की ओर शिवायचक खसरा नम्बर 291/761 व 292 मे होकर खाते के खेत खसरा नम्बर 706, 709 व 710 की मेड पर होकर खेत खसरा नम्बर 703 पर जाने का रस्ता निकाला गया था जिसकी रिपोर्ट श्रीमान तहसीलदार साहब द्वारा कमांक/1528/राजस्व/83 दिनांक 14.12.83 द्वारा श्रीमान जिलाधीश महोदय, बून्दी को भिजवायी थी। साथ ही अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 एवं 151 सीपीसी पेश किया गया था जिसमे प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि प्रार्थीगण ने जिस खसरा नम्बर 702 मे रास्ते के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, उस भूमि खसरा नम्बर 702 के संबंध मे अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 व अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 के विरूद्व एक वाद बाबत् स्थायी निषेघाज्ञा अन्तर्गत धारा 188, 82 (क) आरटी एक्ट इसी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ मे प्रस्तुत किया हुआ है जो चतरा आदि बनाम अलीबहादूर के नाम से वाद संख्या 123/019 से विचाराधीन है और इसके साथ ही एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेघाज्ञा जिसके प्रार्थना पत्र संख्या 151/019 है भी विचाराधीन है जो कि इस धारा 251क के पूर्व मे ही पेश किया गया वाद होने से पूर्ववर्ती वाद है तथा यह धारा 251क का प्रार्थना पत्र पश्चातवर्ती है। वाद संख्या 123/019 के पक्षकार व इस धारा 251क के पक्षकार एक समान है व वाद की विषय वस्तु व मामला प्रत्यक्षतः व सारतः एक ही है जिससे न्यायहीत मे इस प्रार्थना पत्र धारा 251क की सुनवाई वाद संख्या 123/019 के निर्णय तक स्थगित फरमाया जाना आवश्यक है। जिस पर प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा का जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 एवं 151 सीपीसी पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र धारा 10 एवं 151 सीपीसी की चरण संख्या 3 जिस प्रकार से दर्ज की गयी है, असत्य एवं निराधार होने से स्वीकार नही है। वाद संख्या 123/019 के पक्षकार एवं विचाराधीन प्रार्थना पत्र धारा 251क के पक्षकार पृथक पृथक है। दोनों वाद प्रार्थना पत्र की विषय वस्तु और मामला प्रत्यक्षतः व सारत पृथक पृथक है इसलिए धारा 10 व 151 सीपीसी के प्रावधान विचाराधीन प्रार्थना पत्र पर लागू नही होने से प्रार्थना पत्र धारा 10 एवं 151 सीपीसी खारिज फरमाये जाने योग्य है। दिनांक 28.03.2023 को उभय पक्षकारान अधिवक्तागण की उक्त प्रार्थना पत्र धारा 10 एवं 151 सीपीसी पर बहस सूनी जाकर दिनांक 22.12.2023 को धारा 10 एवं 151 सीपीसी प्रार्थना पत्र खारिज किया गया।

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22.12.2023 को धारा 10 एवं 151 सीपीसी पर जो आदेश दिया गया था, की निगरानी अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे की गयी जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी/टीए/98/2024/बूंदी चतरा बनाम अलीवहादूर मे दिनांक 04.03.2025 को निर्णय पारित कर इस न्यायालय द्वारा धारा 10 एवं 151 सीपीसी मे दिनांक 22.12.2023 को जो आदेश पारित किया था, को निरस्त किया जाकर निगराकार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 10 सीपीसी पर उभयपक्ष को सुनकर सुस्पष्ट एवं विवेचनायुक्त आदेश द्वारा प्रार्थना पत्र को निर्णित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित उक्त निर्णय की पालना मे पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.2025 को पेश हुई जिसमे उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

दिनांक 17.06.2025 को उपस्थित पक्षकारान अधिवक्तागण की मौजुदगी मे पत्रावली का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण द्वारा जिस खसरा नम्बर 704 व 705 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, वह शामलाती खाते की भूमि है जिसका विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है तथा बिना विभाजन इस पत्रावली मे धारा 251क के तहत् रास्ता दिया जाना न्यायोचित अथवा विधि सम्मत नही है अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 251क अस्वीकार किया जाता है तथा मूल प्रार्थना पत्र अस्वीकार होने से प्रार्थना पत्र मे पेश धारा 10 एवं 151 सीपीसी पर सुनवाई करने का कोई औचित्य ही न्यायोचित प्रतीत नही होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे खसरा नम्बर 704 व 705 के खातेदारान के मध्य विभाजन नही होने से रास्ता नही दिया जाने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 251क प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ